भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 668
दिनांक 06.02.2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

कैदियों की सहायता के लिए योजना

†668. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री श्रीधर कोटागिरीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "कैदियों को सहायता" नामक योजना वित्तीय रूप से वंचित कैदियों विशेषकर सामाजिक रूप से वंचित अथवा हाशिए पर रहने वाले समूहों की किस प्रकार सहायता करती है और इनका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार उन गरीब कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता किस प्रकार प्रदान करती है जो शुल्क का भुगतान नहीं कर पाने के कारण जमानत नहीं ले सकते हैं या रिहा नहीं हो सकते हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): गरीब और निर्धन कैदियों को सहायता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा "गरीब कैदियों को सहायता" योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है, जो जुर्माने की राशि का भुगतान करने अथवा आर्थिक तंगी के कारण जमानत लेने में असमर्थ हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विभिन्न विषय संबंधी विशेषज्ञों, कानूनी सलाहकारों और राज्य सरकार के अधिकारियों, आदि के साथ परामर्श करने के उपरांत अंतिम रूप दिया गया। इन्हें दिनांक 19.6.2023 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझा किया गया और यह गृह मंत्रालय की वेबसाइट: www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

<u>लोक सभा अता.प्र.सं. 668 दिनांक 02.06.2024</u>

केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के खाते में धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय स्तर पर 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना के लिए एक सब्सिडियरी बैंक खाता खोलें और इसे सीएनए खाते के साथ मैप कराएं।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक 'अधिकार प्राप्त समिति' गठित करने की सलाह दी गई है, जो कि जमानत लेने अथवा जुर्माने का भुगतान करने, आदि के लिए प्रत्येक पात्र मामले में वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी। जिला स्तर कीअधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते से निधियां आहरित की जाएंगी और जिलास्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित राशि का भुगतान जुर्माने/जमानत आदि के लिए संबंधित न्यायालय को किया जाएगा।

*****